संख्या - 98/ओ.आर.डी/001
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 28.10.2011

परिपत्र सं0 12/10/11

विषय: विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक आदि जैसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निधीयन एजेंसिस द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में निविदा पश्चात की बातचीत पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों की उपयुक्तता ।

ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए है जिनमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या आयोग के दिनांक 1 अक्तूबर, 1999 के कार्यालय ज्ञापन सं0 3/(V)/99/9 में दिए गए दिशानिर्देश उन परियोजनाओं के लिए भी अनिवार्य हैं जो विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निधियन एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित हैं ।

2. आयोग के दिनांक 1 अक्तूबर, 1999 के परिपत्र का पैरा 2 पुन: दिया जा रहा है जो निम्नलिखित है:

"उचित रूप से विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक विश्व बैंक परियोजनाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक आदि जैसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निधीयन एजेंसिस का संबंध है, उनमें विभागों/संगठनों के पास विश्व बैंक/संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों को अपनाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है तथा आयोग के अनुदेश उन परियोजनाओं पर निश्चित रूप से लागू नहीं होंगे । तथापि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेश विभागों द्वारा देश के भीतर ही की गई क्रय/विक्रय के लिए अनिवार्य होंगे । केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 18.11.98 के अनुदेश तब भी लागू होंगे यदि इन्हें देश के बाहर स्थित स्रोतों के साथ किया गया है तथा यदि ये विभाग/संगठन के बजट प्रावधानों तथा सामान्य कार्यों के भीतर हैं ।"

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में आयोग के दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे यदि ये निधीयन एजेंसियों की लागू प्रापण नियमावली के साथ परस्पर विरोधी हैं ।

4. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(जे.विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी